

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कैलाश

किस्म मुकदमा -212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री कालु

पत्रावली संख्या : 04/25

जीसीएमएस : 2025/17

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 25.03.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी. का पेश किया। शामिल फाईल रहे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विद्धो का पेश कर अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त पत्रावली को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी को प्रार्थना पत्र वाद विद्धो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्धो को पढकर अधिवक्ता वादी को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता वादी अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विद्धो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी. वाद विद्धो का स्वीकार किया जाकर नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्धो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

